जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(आर.ई.सर्किल)

क्र. जे.पी.डी. / अति.मु.अ.(पी.पी.एम) / अधी.अभि.(आर.ई) / अधि.अभि.(II) / प. / प्रे. जयपुर 586 दि 09/08/2018

आदेश

विषयः– "किसान ट्रांसफार्मर परिवर्तन प्रकिया"।

कृषि कनेक्शन नीति 2017 के बिन्दु संख्या 20.1 मे यह प्रावधान है कि कृषि उपभोक्ता द्वारा जले ट्रांसफार्मर की शिकायत 33/11 के.वी. सब स्टेशन पर संधारित शिकायत पुसितका में दर्ज कराई जावेगी। तथा बिन्दु संख्या 20.1 मे सामान्य परिस्थितयो मे जले या खराब ट्रासंफार्मर 72 घंण्टे मे बदल दिये जाने का प्रावधान है।

इस संबंध मे यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 15.08.18 तक लम्बित जले हुए ट्रासंफार्मर को पूर्व निर्धारित नीति अनुसार समस्त अधीक्षण अभियन्ता (प.व.स.) बदलना सुनिश्चित करे। दिनांक 15.08.18 से कृषि उपभोक्ताओ द्वारा "बिजली–मित्र" –ऐप या उपभोक्ता सेवा केन्द्र द्वारा ही जले हुए ट्रासंफार्मर की शिकायत दर्ज कराने पर जले हुए ट्रांसफार्मर को बदला जावेगा। यदि उपभोक्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत सत्यापन में गलत पाई जाती है तो संबंधित अधिशाषी अभियन्ता (O&V) दर्ज शिकायत को रद्द करने हेतु अधिकृत होगा। ट्रांसफार्मर चोरी होने व ट्रांसफार्मर के मीटर बॉक्स की वैल्डिंग टूटी पाई जाने के प्रकरण में ट्रांसफार्मर को अधिशाषी अभियन्ता (O&V) की पूर्ण सन्तुष्टि व सत्यापन के पश्चात् ही नियमानुसार बदला जावेगा। अधिशाषी अभियन्ता (O&V) फीडर इन्चार्ज द्वारा मीटर पठन अवधि के दौरान व अन्य माध्यमो से कृषि उपभोक्ताओ को बिजली–मित्र ऐप को डाउनलोड करने हेतु प्रेरित करे। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता सेवा केन्द्र के माध्यम से भी उपरोक्त ऐप को डाउनलोड करने हेतु सुविधा उपलब्ध करावे। सम्बधित कनिष्ठ अभियन्ता व सहायक अभियन्ता आदेश की सख्ती से पालना सुनिश्चित करे।

9/8/18
(वी.डी. बंसल)
अति. मुख्य अभियन्ता (पी.पी.एम)
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार,जयपुर ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
3. निदेशक (तकनीकी / वित्त), जयपुर डिस्कॉम जयपुर।
4. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (जयपुर / भरतपुर / कोटा), जयपुर डिस्कॉम ,जयपुर / भरतपुर / कोटा।
5. मुख्य अभियन्ता (एम एम / मुख्यालय / एम एण्ड पी एण्ड आई टी / क्यू सी एण्ड सेफ्टी), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता (पवस / जे.सी.सी. / जेपीडीसी / एम.आई.एस. / प्लान / विधि / आई.टी) जयपुर डिस्कॉम,,............
7. प्रावेधिक सहायक राज्यमंत्री ऊर्जा विभाग, विद्युत भवन, जयपुर।
8. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर डिस्कॉम, (रामबाग सर्किल), जयपुर।
9. मुख्य / वरिष्ठ लेखाधिकारी ( ), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
10. अधिशाषी अभियंता (ग्रिवीन्सेज), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
11. विशिष्ठ सहायक सलाहकार (एम), मुख्यमंत्री सचिवालय राजस्थान सरकार जयपुर।
12. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
13. निजी सचिव माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।
14. इन्चार्ज, कन्ट्रोल रूम मुख्य अभियन्ता (जयपुर जोन) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।

अति. मुख्य अभियन्ता (पी.पी.एम)
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर